FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

तहसीलदार बायतु बनाम जगमालसिंह वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवे०. 131, 132 व 136 RCR Act नं. 161/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/05/19	~~प्रार्थी~~/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री तहसीलदार बायतु ने यह प्रार्थना-पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 131, 132, 136 RCR Act राजस्थान काश्तकारी/~~भू-राजस्व~~ अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 03/06/19 को पेश हो। Sd/	
03/06/19	प्रार्थी तहसीलदार बायतु उपस्थित। प्रार्थना-पत्र के साथ ही विप्रार्थी श्री जगमालसिंह द्वारा प्रस्तुत सहमति-पत्र पेश किया हुआ जिसमें खातेदारी की सहमति दी गई है। जो शामिल मिसल है। अतः मूल प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार बायतु को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना-पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश जुदागाना टंकन करवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Sd/ 03.6.2019	Sd/ 03.6.19 तहसीलदार बायतु

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी:– अनिल कुमार पूनियाँ आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 161/19

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
तहसीलदार बायतु, जिला बाड़मेर		श्री जगमालसिंह पुत्र श्री निम्बाराम जाति जाट, निवासी बांकनाडी तहसील बायतु, जिला–बाड़मेर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956.

आदेश दिनांक:–03.06.2019

प्रार्थी तहसीलदार बायतु ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड प्रथम बायतु का प्रार्थना पत्र के अनुसार बालोतरा बायतु बाड़मेर के रेलवे लाईन पर आरयूबी निर्माण के कार्यदेश हो रखे है तथा कार्य प्रगति पर है। रेलवे स्टेशन बनिया सांडा के पास राजस्व ग्राम बांकनाडी के खसरा संख्या 806/639 रकबा 0.08 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता जो कि एन.एच. 25 से बायतु भीमजी की तरफ जाने वाली सड़क जहां रेलवे लाईन क्रास कर रही है, की मौका जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का से प्राप्त की गई। मौका स्थिति अनुसार, संलग्न नक्शानुसार उक्त खसरा संख्या 806/639 रकबा 0.08 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड(नक्शा लट्ठा) में तरमीम की हुई है। लेकिन मौका स्थिति राजस्व रिकॉर्ड से भिन्न है अर्थात गै.मु. रास्ता तरमीम की हुई जगह पर नहीं है जो संलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार है। वर्तमान आरयूबी निर्माण कार्य को तरमीम अनुसार करने के लिए मौका अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है जिससे रिकॉर्ड व मौका कब्जा स्थिति की भिन्नता खत्म हो सके। उक्त रास्ता न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 12.07.2017 की पालना में अमल दरामद किया गया जिसका मूल खसरा संख्या 759/639 था जो राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामदगी के समय नवीन खसरा संख्या 806/639 अंकित किया गया जिसका मौका स्थिति के अनुसार शुद्ध किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार बायतु ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संबंधित काश्तकार का सहमति पत्र भी पेश किया है जो शामिल मिशल है।

हमने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का बगौर अवलोकन किया तथा तहसीलदार बायतु को विस्तार से सुना। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्रासंगिक आदेश दिनांक 12.07.2017 की पालना में संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा तथ्यों एवं मौके के विपरीत राजस्व नक्शा में त्रुटी पूर्ण तरमीम की गई है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है ताकि रिकॉर्ड व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। तहसीलदार बायतु ने भी उक्तानुसार कार्यवाही को उचित बताया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बांकनाडी तहसील बायतु में स्थित खसरा संख्या 806/639 रकबा 0.08 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता की राजस्व लट्ठा नक्शा में की गई तरमीम को विधि विरूद्ध, तथ्यों के विपरीत एवं त्रुटि युक्त होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बायतू को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते की नये सिरे से अनुभवी एवम दक्ष राजस्व कार्मिकों की टीम से जांच करवाकर राजस्व लट्ठा नक्शा में नियमानुसार तरमीम की कार्यवाही सम्पादित करावें। इस आशय की तहरीर जारी हो। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय आज दिनांक 03.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03.6.2019

(अनिल कुमार पूनियाँ)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Scanned by CamScanner